दिनांक 21.02.2017 को माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा माननीय मंत्री एवं उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक उदबोधन में कहा कि विभागीय समीक्षात्मक बैठक अपरिहार्य कारणवश तीन–चार माह के अंतराल पर आयोजित की जा रही है। प्रत्येक माह बैठक आयोजित नही होने के कारण विभागीय कार्यो की समीक्षा नही की जा सकी है, जिसके कारण कार्य की प्रगति परिलक्षित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों का निजी ध्यान आकृष्ट निम्नांकित बिन्दुओं पर किया गया :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत सभी लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, जिसे ससमय पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण किया जाय।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव शत–प्रतिशत किया जाय।
3. खाद्यान्न के उठाव में विलंब या खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जायेगा, उन जिलों को चिन्हित कर सम्बन्धित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

1. <u>राशन कार्ड डाटा का **On Line Entry** की समीक्षा</u>

राशन कार्ड डाटा का On Line Entry की समीक्षा जिलावार की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला–अरवल एवं शिवहर को छोड़कर शेष अन्य जिलों में राशन कार्ड का on line data entry संतोषजनक नहीं है। सचिव द्वारा गहरी नारजगी प्रकट करते हुए राशन कार्ड डाटा के on line entry हेतु चयनित vendors को सभी जिलों में Man Power एवं Computer Set अविलम्ब बढ़ाने का निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राशन कार्ड डाटा इन्ट्री को समय सीमा के अन्तर्गत कराने हेतु सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाय। किसी भी जिले में कार्य में कोताही या विलंब होने की स्थिति में दोषी भेंडर्स या आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई की जायेगी। जहाँ तक Server Down हो जाने की बात है, इस संबंध में विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निराकरण करा दिया जायेगा।

2. <u>अधिप्राप्ति की समीक्षा</u>

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में सहकारिता विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष की तुलना में आज की तिथि तक अधिप्राप्ति का कार्य अच्छा हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा धान अधिप्राप्ति की राशि किसानों को 48 घंटा में भुगतान कर देने का प्रावधान है, परन्तु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं पाया जा रहा है।

सहकारिता विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति की राशि R.T.G.S. के माध्यम से 48 घंटे में भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है,

परन्तु Bank के Software Slow होने के कारण कुछ विलंब हो जाता है, इसे सुधार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।

किसानों का on line registration के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 25.02.2017 तक on line registration कराने की तिथि बढ़ा दी गई है।

विगत दिनों धानों में नमी की अधिकता से अधिप्राप्ति कार्य धीमी गति से हो रहा था, परन्तु यह समस्या आज की तिथि में नहीं है। सभी क्रय केन्द्रों पर अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है एवं धान की मिलिंग कार्य हेतु मिलर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है। कई एक जिलों में सी0एम0आर0 चावल भी जिलों को दिया जा रहा है। परन्तु इसमें समस्या यह आ रही है कि जिस अनुपात में मिलर्स द्वारा धान लिया जा रहा है उस अनुपात में सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं हो रहा हैं। किसानों को प्रति क्विंटल 25 रूपये बोरा हेतु प्राप्त करना है, परन्तु मात्र 15 रूपये ही प्राप्त हो रहा है, सहकारिता विभाग इसे सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सी0एम0आर0 प्राप्त करने में 900 gm या 400 gm को Software 1 kg. में बदल दे रहा है एवं अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा हैं। सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Software में ऐसी व्यवस्था की जाय कि 450 gm हो तो Round Figure में अंतिम मात्रा तथा 500 gm हो तो Round Figure 1 kg. में अंकित हो। सचिव द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि किसी भी जिले में PACS/Farmer की राशि बकाया है, ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त होना चाहिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सी0एम0आर0 का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि खराब गुणवत्ता का सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं हो इसके लिये Quality Assurance सुनिश्चित किया जाय।

सचिव द्वारा धान अधिप्राप्ति समीक्षा के क्रम में निदेश दिया कि जो पदाधिकारी टी0पी0डी0एस0 गोदाम के प्रभारी है, वही पदाधिकारी सी0एम0आर0 के प्रभारी नहीं रहेंगे।

3. <u>खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा</u>

खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा जिलावार की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह फरवरी, 2017 में मात्र 59 प्रतिशत ही खाद्यान्न का उठाव किया गया है। जिलावार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालंदा–28 प्रतिशत, बेतिया–38 प्रतिशत, सहरसा–40 प्रतिशत, सीतामढ़ी–40 प्रतिशत, भोजपुर–40 प्रतिशत, शेखपुरा–41 प्रतिशत, मुंगेर–42 प्रतिशत, अररिया–42 प्रतिशत, कटिहार–45 प्रतिशत, औरंगाबाद–47 प्रतिशत, शिवहर–48 प्रतिशत ही खाद्यान्न का उठाव किया गया है। मार्च, 2017 का खाद्यान्न का उठाव प्रारंभ ही किया गया है। सचिव द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया एवं निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निम्नांकित निदेश दिया गया :–

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर इस आशय की समीक्षा की जाय की अगले माह के विरूद्ध प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की उपलब्धता भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में उपलब्ध रहे। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में धर्मकांटा एवं श्रमिक की समस्या होने के फलस्वरूप खाद्यान्न के उठाव/वितरण में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में समस्या के निदान हेतु साप्ताहिक स्तर पर बैठक आयोजित कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत अच्छादित लाभुकों प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सभी पदाधिकारियों की है। अतएव पूर्वीकताप्राप्त लाभुकों को प्रत्येक माह खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। बैकलॉग की स्थिति में समीक्षा कर

जिम्मेवारी का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय। मार्च, 2017 से किसी भी जिले में 100 प्रतिशत से कम खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण न हो, इसे सुनिश्चित किया जाय।

एस0आई0ओ0 डिस्पैच के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जनवरी, 2017 में 68 प्रतिशत एवं फरवरी, 2017 में मात्र 17 प्रतिशत डिस्पैच ही किया गया है। यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। सभी जिला प्रबंधकों को निदेश दिया गया कि जी0पी0एस0 लोड शेलयुक्त वाहन से ही खाद्यान्न की ढुलाई की जाय।

4. <u>निरीक्षण एवं छापामारी</u>

सचिव द्वारा निरीक्षण के सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण प्रतिवेदन को Mobile APPS से Photo लेकर POIMS पर Upload किया जाय। इसकी समीक्षा प्रत्येक माह के बैठक में की जायेगी।

5. <u>जन वितरण प्रणाली की नई दुकानों के सम्बन्ध में समीक्षा</u>

सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 13000 नई जन वितरण प्रणाली की नई नियुक्तियां हेतु रिक्ति है। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्वींयरेंस के उपरान्त विभाग द्वारा दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

6. <u>लोक शिकायत</u>

सचिव द्वारा लोक शिकायत के सम्बन्ध में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा में सर्वाधिक शिकायतें नया राशन कार्ड निर्गत करने के सम्बन्ध में प्राप्त होता था। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि नया राशन कार्ड निर्गत के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आवेदकों को निदेश दिया जाय कि नया राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु R.T.P.S. के माध्यम से आवेदन दिया जाय।

7. <u>निगरानी एवं अनुश्रवण समिति</u>

सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाय एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

अन्त में बैठक धन्यवाद समाप्त की गई।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07--विविध–बैठक–03 / 2012 1239 /खाद्य,पटना–15,दिनांक 08-03-17

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपनिदेशक खाद्य / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी पटना / अपर जिला दण्डाधिकारी पटना (आपूर्ति) सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।